FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.......... मुकाम..........

.... ठाकुरराम वगैरा .... बनाम .... तहसीलदार बायतु

किस्म मुकदमा.......... राजस्व आवेदन .... नं. .... 220 .... सन् 2020..........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/2020	**प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री** ..... कुम्भसिंह चौधरी ..... **ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा** ..... 136 ..... **राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक** ..... 7/9/2020 ..... **को पेश हो।** तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/09/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट स्वीकार की गई, अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas

Date: 2020.11.19 16:07:13 IST

Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–220 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. ठाकराराम पुत्र लुम्भाराम 2. लुम्बाराम पुत्र भीखाराम 3. मगाराम पुत्र लुम्बाराम 4. पुखराज पुत्र हनुमानाराम 5. पेम्पों पत्नी ठाकराराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांकः– 30/09/2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 07.14 बीघा में से 02 बीघा भूमि खेत खसरा संख्या 628 / 260 सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 03.01.1983 को समर्पित की गई जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश क्रमांक 02 दिनांक 03.01.1983 को समर्पण पत्र के साथ संलग्न नक्शा अनुसार समर्पित की गई भूमि उपरोक्त खसरान की तरमीम करते समय आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ठ **अ** अनुसार बरंग लाल मौका अनुसार तरमीम नहीं कर गलत व कम रकबे की तरमीम कर दी गई।

तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के साथ वर्तमान तरमीम का नक्शा ट्रेस परिशिष्ट **A** व मौका अनुसार तरमीम का नक्शा ट्रेस परिशिष्ट B संलग्न भिजवाया गया तथा परिशिष्ट **B** के अनुसार तरमीम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है। प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबा यथावत रखते हुए तरमीम की शुद्वि की जाती है तो कोई आप्पति नहीं है।

हमने राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु पटवार मण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:07:13 IST
Reason: SelfAttested

बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 628/260 रकबा 02 बीघा भूमि की पूर्व में की तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट **B** के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करते हुए तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 30/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:07:13 IST
Reason: SelfAttested